



2026:AHC:164328

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या - 27425 वर्ष 2026

मो. शाकिर

.....आवेदनकर्ता(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदनकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अंकित श्रीवास्तव, चौ. दिल निसार

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान

1. राज्य की ओर से पेश एजीए ने कहा कि उन्हें निर्देश मिल गए हैं और उन्हें इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि ज़मानत प्रार्थना-पत्र पर गुण-दोष के आधार पर सुनवाई हो।
2. आवेदक के अधिवक्ता और राज्य की ओर से एजीए के तर्क सुने और अभिलेख देखा।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक बिजली विभाग में संविदा पर काम करने वाला कर्मचारी है और एसडीओ दिनेश कुमार मौर्य के कहने पर उसने ₹20,000 लिए थे। यह मांग सह-आरोपी दिनेश कुमार मौर्य ने की थी, जिसे आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत प्रार्थना-पत्र संख्या 24059/2026 में 15.7.2026 के आदेश से पहले ही ज़मानत मिल चुकी है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत अधिकतम सज़ा सात साल है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 23.5.2026 से जेल में है और अगर उसे ज़मानत पर रिहा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किया जाता है, तो वह ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।

4. राज्य की ओर से एजीए ने ज़मानत प्रार्थना-पत्र का विरोध किया, लेकिन मामले के तथ्यों पर कोई विवाद नहीं किया।

5. राज्य की ओर से एजीए ने आवेदक के आपराधिक इतिहास या पिछले अभिलेख के बारे में ऐसा कोई तथ्य या परिस्थिति नहीं बताई है, जिससे उसे ज़मानत न मिल सके।

6. राज्य का यह कहना नहीं है कि आवेदक ने जांच या विचारण न्यायालय की कार्यवाही में सहयोग नहीं किया है।

7. सर्वोच्च न्यायालय ने इस सिद्धांत को अच्छी तरह से माना है कि ज़मानत नियम है और जेल अपवाद है, खासकर संविधान के अनुच्छेद 21 के संदर्भ में। सर्वोच्च न्यायालय ने **सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अन्य, 2022 (10) एससीसी 51** मामले में इस सिद्धांत को फिर से दोहराया है। राज्य की ओर से एजीए ने ऐसी कोई असाधारण परिस्थिति नहीं बताई है जिसके आधार पर आवेदक को ज़मानत देने से इनकार किया जा सके।

8. राज्य की ओर से पेश एजीए ने ऐसा कोई साक्ष्य, तथ्य या हालात नहीं दिखाए हैं जिनसे यह लगे कि आरोपी साक्ष्यों या गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, या उसका स्वभाव ऐसा है कि उसके बाहर रहने से गवाह डर जाएंगे, या वह अपनी आज़ादी का इस्तेमाल न्याय प्रक्रिया को बिगाड़ने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने के लिए करेगा।

9. विधि का यह स्थापित सिद्धांत है कि ज़मानत का मकसद विचारण के दौरान आरोपी की मौजूदगी सुनिश्चित करना है। राज्य की ओर से पेश एजीए ने ऐसी कोई ठोस जानकारी या हालात नहीं दिखाए हैं जिनसे यह लगे कि आवेदक न्याय से भाग सकता है, न्याय की प्रक्रिया में बाधा डाल सकता है, या अपराध दोहराने या गवाहों को डराने-धमकाने जैसी कोई और परेशानी खड़ी कर सकता है।

10. राज्य की ओर से पेश एजीए ने ऐसा कोई साक्ष्य या हालात नहीं दिखाए हैं जिनसे यह लगे कि जनता या राज्य के व्यापक हित में आरोपी/आवेदक ज़मानत का हकदार नहीं है।

11. मामले के तथ्यों और हालात, अपराध की प्रकृति, साक्ष्यों, आरोपी की संलिप्तता और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



व्यक्त किए बिना, न्यायालय का मानना है कि आवेदक ने ज़मानत के लिए मामला बनाया है। ज़मानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।

12. आपराधिक वाद संख्या 06/2026 (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 12 के तहत, पुलिस थाना भ्रष्टाचार निवारण, ज़िला सहारनपुर) में शामिल आवेदक- **मोहम्मद शाकिर** को ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र और दो ज़मानतदार पेश करे, और निम्नलिखित शर्तों का पालन करे:-

- i. आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा या उसे डराएगा-धमकाएगा नहीं।
- iii. आवेदक तय तारीख पर विचारण न्यायालय के सामने पेश होगा, जब तक कि व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट न मिली हो, और/या ज़रूरत पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए उपलब्ध रहेगा।
- iv. आवेदक वैसा कोई अपराध नहीं करेगा जैसा अपराध करने का उस पर आरोप है या जिस अपराध को करने का उस पर शक है।
- v. आवेदक मामले की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं देगा, जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को वे तथ्य बताने से रुके या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करे।
- vi. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।
- vii. यदि आवेदक अपना आवासीय पता बदलता है, तो उसे नए पते के बारे में संबंधित न्यायालय को लिखित रूप में सूचित करना होगा।

13. ऊपर दी गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष को इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्त करने का आवेदन दाखिल करने की छूट होगी।

(न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान)

6 अगस्त, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



वीएमए

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!